1/7

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
काशीपुर (उ० सिं० नगर)

उत्तराखण्ड राजकीय संस्थान पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 244713
E-mail: poly_kashipur@yahoo.co.in

(क–लिफाफा)

तकनीकी निविदा प्रपत्र

जनवीनतम कलर फोटो

संस्था के पुरुष एवं महिला छात्रावास में मैस संचालन हेतु सील्ड बन्द निविदा आमंत्रित किये जाते है।

सामान्य सूचनायें:–

1–	निविदा पत्र प्राप्त करने की तिथि	–	दिनांक 23/07/2026 से 28/07/2026 सायं 5 बजे तक
2–	निविदा पत्र जमा करने की तिथि	–	दिनांक 23/07/2026 से 30/07/2026 सायं 5 बजे तक
3–	निविदा पत्र खोलने की तिथि	–	दिनांक 31/07/2026 को अपरान्ह 01:00 बजे
4–	निविदा पत्र का मूल्य	–	रू0 500.00, 18% GST = 590.00 (पांच सौ नब्बे रूपये)
5–	निविदा की वैधता	–	एक वर्ष
6–	धरोहर राशि	–	रू0 80,000.00 (अस्सी हजार रूपये) एफ0डी0आर0 के रूप में **"प्रधानाचार्य, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक, संस्थान काशीपुर"** के पदनाम से जमा करें।

नियम एवं शर्तें:–

1– निविदाओं को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा **(क) तकनीकी लिफाफा** और **(ख) वित्तीय लिफाफा** को पूर्ण रूप से स्पष्ट भरकर सील्ड करके लिफाफे में प्रधानाचार्य उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के पदनाम से प्रेषित की जाय, तथा लिफाफे के ऊपर **"सत्र 2026–27 में मैस संचालन हेतु निविदा"** लिखा होना चाहिए, दोनो सील्ड लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय) को एक बड़े लिफाफे में सील्ड कर जमा करना होगा। साथ ही प्रेषक का नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य हैं।

2– निविदादाता निविदा पत्र को डाक द्वारा या दस्ती द्वारा संस्था में भेज/जमा कर सकता है। डाक से भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र संस्था में उपरोक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त न होने पर संस्था जिम्मेदार नही होगी।

3– निविदा खोलते समय निविदादाता स्वंय या उसका प्रतिनिधि यदि चाहें, संस्था में उपस्थित हो सकता है।

4– तकनीकी निविदा लिफाफे के अन्दर तकनीकी निविदा प्रपत्र की मूल प्रति एवं धरोहर धनराशि रू0 80,000.00 (अस्सी हजार रू0) एफ0डी0आर0 के रूप में **प्रधानाचार्य, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक, संस्थान काशीपुर** के पदनाम से मूल प्रति जमा करनी आवश्यक है। धरोहर धनराशि की वैधता एक वर्ष होनी आवश्यक हैं।

5– निविदा के पश्चात् जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसी की धरोहर धनराशि को संस्था में जमा रखी जायेगी, अन्य निविदादाताओं को धरोहर धनराशि को वापस कर दिया जायेगा। यदि स्वीकृत निविदादाता सत्र के मध्य में या निर्धारित तिथि से पूर्व मैस संचालन का कार्य छोड़ता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को संस्था द्वारा जब्त कर लिया जायेगा, और निविदादाता का इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

6– प्रारंभ में मैस संचालन हेतु एक वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है जो आपसी समझौते से तीन वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकता है। परन्तु निविदादाता के संस्था के बाहर अथवा अन्दर किसी ऐसे कृत्य में लिप्त पाये जाने पर जिससे संस्था की सामान्य प्रतिष्ठा प्रभावित होती हो, अनुबन्ध तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।

7– मैस में उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री एवं भोजन की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए। छात्रावास मैस समिति द्वारा गुणवक्ता भी समय–समय पर जांच की जायेगी। समिति द्वारा निरीक्षण करने के उपरान्त यदि खाद्य सामग्री एवं भोजन की गुणवत्ता में कमी पायी जाती है तो **रू0 50000.00 तक का जुर्माना** मैस संचालक पर लागाया जा सकता है।

8– निविदा शर्तो के अनुसार कार्य सम्पादन न किये जाने की दशा/गुणवत्तायुक्त भोजन उपलब्ध न कराने की दशा में कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा व ऐसी दशा में भी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

9– कॉन्ट्रेक्ट निरस्त होने की दशा में दूसरे नम्बर पर न्यूनतम दर वाले निविदादाता को मैस संचालन के लिए समस्त नियम व शर्तो का अनुपालन के अनुसार आदेश दिया जा सकता है, जिसके द्वारा उपरोक्त धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।

10– प्रधानाचार्य को यह अधिकार होगा कि वह कॉन्ट्रेक्ट कभी भी निरस्त कर सकता है, और इस सम्बन्ध में निविदादाता/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा।

11– निविदादाता की फर्म पंजीकृत होनी चाहिए, जिसका जी0एस0टी0 नम्बर होना अनिवार्य है। (प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित की छाया प्रति तकनीकी निविदा में जमा करना अनिवार्य हैं।)

12– निविदादाता को मैस चलाने का कम से कम तीन वर्षो का कार्य अनुभव होना आवश्यक है। (अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा में जमा करना अनिवार्य हैं।)

13– निविदादाता के फर्म का तीन वर्षो के कार्य अनुभव का कुल टर्नओवर रू0 30,00,000.00 (तीस लाख) या उससे ऊपर होना आवश्यक हैं। (स्वप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा में जमा करना अनिवार्य हैं।)

उत्तराखण्ड राजकीय संस्थान पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 244713
E-mail: poly_kashipur@yahoo.co.in

14– निविदादाता/फर्म का भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (Food Certificate) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं। जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप उक्त कार्य को करने में सक्षम हैं।

15– निविदादाता द्वारा अपने फर्म का पिछले तीन वर्षो का आयकर रिटर्न फाइल होना आवश्यक है। (ITR की स्वप्रमाणित छाया प्रति तकनीकी निविदा में जमा करना अनिवार्य हैं।)

16– छात्रावास में निर्धारित साप्ताहिक मैस मैन्यू के अनुसार ही भोजन व्यवस्था की जायेगी। (मैस मैन्यू संलग्न हैं।)

17– मैस संचालन हेतु जिस निविदादाता/फर्म को आदेशित किया जायेगा, उसे रू0 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शर्तो का अनुबन्ध पत्र को नोटरी करा कर जमा करना होगा।

18– निविदादाता को अपना आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक हैं।

19– निविदादाता को अपना/फर्म का पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक हैं।

20– कोई भी दाल एवं सब्जी की सप्ताह मे दो बार से अधिक पुनरावृत्ति नही की जायेगी।

21– छात्रावास मैस की साफ–सफाई (सामग्री सहित) एवं मैस में अग्नि अथवा अन्य सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

22– भोजन बनाने हेतु समस्त बर्तन, कर्मचारी आदि की व्यवस्था निविदादाता/फर्म की होगी, व भोजन बनाने हेतु केवल **Commercial Cylinder** का ही प्रयोग किया जायेगा। साथ ही निविदादाता के मैस कर्मचारियों का व्यवहार छात्रों एवं संस्था स्टाफ सदस्यों के साथ अच्छा व विन्रम होना आवश्यक है, तथा संस्था परिसर व छात्रावास परिसर में निविदादाता के मैस कर्मचारियों को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने की दशा में कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रधानाचार्य का होगा। जिसके लिए मैस संचालक स्वंय जिम्मेदार होगा, तथा इस सम्बन्ध में मैस संचालक का कोई दावा मान्य नही होगा।

23– यदि किसी छात्र का स्वास्थ्य आकस्मिक खराब हो जाता है, तो डॉक्टर द्वारा निर्देशित भोजन अस्वस्थ छात्र को प्रदान करना होगा।

24– छात्रावास मैस में किसी भी छात्र की डाइट ऑफ नही होगी, परन्तु विशेष परिस्थितियों में प्रधानाचार्य के स्वीकृति के उपरान्त व होली एवं दीपावली अवकाश तथा सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ही छात्रों की डाइट ऑफ रहेगी। तथा मैस संचालक द्वारा उक्त अवकाश अवधि का भोजन मूल्य बिल में अंकित नही किया जायेगा।

25– निविदादाता द्वारा अपनी दरों के अनुसार मैस संचालन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियों जैसे तेल, चावल, आटा मसाले इत्यादि का विवरण सूची कम्पनी/ब्रान्ड सहित तकनीकी निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य हैं। सब्जी इत्यादि में सरसो के तेल का ही प्रयोग किया जायेगा।

26– जिस भी निविदादाता को मैस कॉन्ट्रेक्ट स्वीकृत किया जायेगा, वह अपने समस्त कर्मचारियो, जो छात्रावास में कार्य करेंगें, का पुलिस वैरिफिकेशन करवाकर संस्था में जमा करेंगें, तत्पश्चात ही केवल उन्ही कर्मचारियों को छात्रावास में मैस कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। पुलिस रिकार्ड में किसी अभियोग में पंजीकृत अथवा दण्डित कर्मचारी रखा जाना अनुमन्य नही है। पुलिस वैरिफिकेशन संस्था में न जमा करने की स्थिति में कॉन्ट्रेक्ट निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य का होगा।

27– **छात्रावास में मदिरापान एवं तम्बाकु पदार्थो का सेवन करना पूर्णतया वर्जित हैं। मैस संचालक एवं मैस कर्मचारी यदि उक्त कार्य में लिप्त पाये जाते है तो रू0 20000.00 (बीस हजार) जुर्माना मैस संचालक द्वारा देय होगा।**

28– सभी निविदा प्रपत्र के पृष्ठ तथा संलग्नक को स्वप्रमाणित होने आवश्यक है।

29– तकनीकी निविदा में अर्हता पूर्ण न होने पर वित्तीय निविदा नही खोली जायेगी।

30– निविदादाता को किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न किया गया हो और किसी भी प्रकार के विवाद में संलिप्त न होने का शपथ पत्र 10/– रू0 के स्टैम्प पेपर पर नोटरी करा कर मूल रूप में तकनीकी निविदा में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

31– मैस संचालक को नियमानुसार आयकर/ट्रेड कर/व्यापार कर इत्यादि समय से जमा करना होगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मैस संचालक की होगी।

32– कामगारों को दुर्घटना या चोट लगने की दशा में–बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कामगार या अन्य व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना या चोट के संबंध में या उसके परिणाम स्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

33– निविदाकर्ता द्वारा रखे गये कार्मिक का किसी भी परिस्थिति में प्रधानाचार्य, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के साथ किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए कोई दावामान्य नहीं होगा।

34– सभी विवाद केवल काशीपुर, ऊधमसिंह नगर क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

उत्तराखण्ड राजकीय संस्थान पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 244713
E-mail: poly_kashipur@yahoo.co.in

35– निविदादाता के पास डबल बर्नर स्टोव, गैस सिलेंडर, वेजिटेबल कटर, ग्लास, ब्रेकफास्ट प्लेट, लंच प्लेट, कड़ाही, फ्राइंग, चम्मच आदि जैसे सभी रसोई उपकरण होने चाहिए। छात्र–छात्राओं के खाने के बर्तनों की व्यवस्था एवं बर्तनों को धुलवाने की व्यवस्था निविदादाता द्वारा की जायेगी।

36– निविदाकर्ता द्वारा संस्था में संचालित पुरूष एवं महिला छात्रावास में अलग–अलग मैस संचालन करना होगा। महिला छात्रावास में संचालन हेतु केवल महिला स्टॉफ को रखा जायेगा।

37– छात्रावास मैस के प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए निविदादाता को पुरूष छात्रावास एवं महिला छात्रावास मैस हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को रखना आवश्यक है। प्रत्येक छात्रावास मैस में कर्मचारी की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

38– निविदादाता को छात्रावास मैस के प्रवेश द्वार पर शिकायत रजिस्टर रखना होगा जिसे छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित आधार पर चेक किया जाएगा।

39– छात्रावास के मैस के कर्मचारी और रसोईया स्वस्थ और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उन्हें नियमित चिकित्सा जांच करानी होगी जिसका व्यय छात्रावास मैस प्रबन्धक को स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई छात्रावास मैस कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता **है, तो उसे अपने कर्तव्यों को जारी** रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और छात्रावास मैस प्रबन्धक को बिना किसी असफलता के उसे तुरंत बदलना होगा।

40– निविदाकर्ता किसी भी उप–ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा, न तो अनुबंध फर्म को सौंपे गए कार्य के लिए निविदाकर्ता किसी भी उप–ठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा। इसके अलावा, न तो अनुबंध का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, फर्म या किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित, सौंपा या सबलेट नहीं किया जाएगा।

41– निविदाकर्ता के पास कन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के अर्न्तगत पंजीकरण ESIC पंजीकरण एवं EPF में पंजीकरण होना अनिवार्य है। (तीनो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

42– सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति–ठेकेदार प्रासंगिक अधिनियमों के सभी वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम और अन्य सभी श्रम और औद्योगिक अधिनियम अपने जोखिम और लागत पर उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध में किसी भी अधिनियम आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन/गैर–अनुपालन के लिए संस्थान के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसलिए, किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी का भी अनुपालन या उल्लंघन के कारण होगा अनुबंध की तत्काल समाप्ति। ठेकेदार वैधानिक अधिनियमों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी अभिलेखों को बनाए रखेगा और वार्डन और उसके अधिकृत प्रतिनिधि किसीभी समय ऐसे सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने के हकदार होंगे। 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के किसी भी कर्मचारी को छात्रावास मैस और स्टाफ कैंटीन के काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

43– मैस हेतु विद्युत बिल भुगतान के लिए सब मीटर लगाना होगा।

45– मैस एवं किचन में मैस संचालन से पूर्व पुताई का कार्य कराना आवश्यक होगा।

46– निविदा में निर्धारित मेन्यू का निविदादाता से प्राप्त न्यूनतम दर का बाजार भाव/सामग्री से आंकलन किया जायेगा। मेन्यू के अनुरूप दरें कम पाये जाने पर मैस समिति द्वारा निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा दूसरे नम्बर के निविदादाता की दरों पर विचार कर लिया जायेगा।

47– मैस में कूडे का निस्तारण मैस संचालक द्वारा किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशो के साथ एक चेकलिस्ट दी गई है, इसे निविदादाता द्वारा पूर्ण रूप से स्पष्ट भरकर मुहर एवं हस्ताक्षरित कर तकनीकी लिफाफा (क) के साथ जमा करके (उपयुक्त स्थान पर हां या नही लिखकर) भरा जाना चाहिए।

प्रधानाचार्य

4/7

उत्तराखण्ड राजकीय संस्थान पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 244713
E-mail: poly_kashipur@yahoo.co.in

–: तकनीकी लिफाफा (क) में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होगें :–

1– इस कार्यालय से खरीदे गये निर्धारित निविदा फॉर्म की मूल प्रति, निविदा में प्रतिभाग करने वाले के द्वारा हस्ताक्षरित और स्पष्ट रूप से भरा फॉर्म होना चाहिए।

2– निविदादाता निविदा के साथ धरोहर धनराशि रू0 80,000.00 (अस्सी हजार मात्र) जिसकी वैधता एक वर्ष हो, मूल प्रति एफ0डी0आर0 के रूप में **प्रधानाचार्य, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक, संस्थान काशीपुर** के पदनाम से जमा करना आवश्यक हैं।

3– निविदादाता की फर्म पंजीकृत होनी चाहिए। जिसका जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

4– निविदादाता को कैटरिंग के क्षेत्र में सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्थान से कम से कम तीन वर्षो का कार्य अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

5– फर्म का उन्ही तीन वर्षो के कार्य अनुभव का कुल टर्नऑवर रू0 3000000.00 (रू0 तीस लाख) या उससे ऊपर का स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

6– निविदादाता द्वारा अपने फर्म का पिछले तीने वर्षो का ITR की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

7– निविदादाता/फर्म का भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (Food Certificate) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

8– निविदादाता का आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

9– निविदादाता का अपना/फर्म का पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

10– निविदादाता द्वारा अपनी दरों के अनुसार मैस संचालन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियों जैसे तेल, चावल, आटा, मसाले इत्यादि का विवरण सूची कम्पनी/ब्रान्ड सहित मूल रूप में हस्ताक्षरित व मुहर सहित संलग्न करें।

11– निविदादाता समस्त निविदा प्रपत्र के पृष्ठ तथा संलग्नक को स्वप्रमाणित करें।

12– निविदादाता को किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने और किसी भी प्रकार के विवाद में संलिप्त न होने का शपथ पत्र 10/– के स्टैम्प पेपर पर मूल रूप में संलग्न करें।

13– निविदाकर्ता के पास कन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के अर्न्तगत पंजीकरण **ESIC** पंजीकरण एवं **EPF** में पंजीकरण होना अनिवार्य है। (तीनो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

प्रधानाचार्य

उत्तराखण्ड राजकीय संस्थान पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 244713
E-mail: poly_kashipur@yahoo.co.in

अनुच्छेदक – 1

।। छात्रावास हेतु साप्ताहिक मैस मैन्यू।।

दिन	नाश्ता (प्रातः 08:00 बजे से 09:30 बजे तक)	दिन का भोजन (अपराहन 01:00 से 02:00 बजे तक)	सायः की चाय (सायं 05:30 से 06:00 बजे तक)	रात्रि भोजन (रात्रि 08 बजे से 09:00 बजे तक)
सोमवार	04 सादे पराठे, काले चने आलू, चाय	अरहर दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)	चाय 01	मसूर की दाल (काली), सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)
मंगलवार	04 सादे पराठे, आलू टमाटर का साग, चाय	राजमा की दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)	चाय 01	साबुत उडद की दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), झंगोरे की खीर ,
बुधवार	02 आलू पराठे, अचार, चाय	कढी पकोड़ा, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)	चाय 01	मिक्स दाल, सोयाबीन बड़ी आलू सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)
वृहस्पतिवार	06 पूरी, आलू का साग, चाय	काले चने की दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)	चाय 01	अरहर–मलका की दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)
शुक्रवार	02 आलू पराठे, अचार, चाय	मिक्स दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)	चाय 01	मसूर की दाल (काली), मिक्स सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), अचार / चटनी
शनिवार	04 रोटी, सब्जी, अचार चाय	साबुत उडद व राजमा मिक्स दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)	चाय 01	अरहर की दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर) अचार / चटनी
रविवार	छोले, भटूरे, चाय	अरहर दाल, सब्जी, रोटी, चावल (बासमती), सलाद (प्याज,खीरा,मूली,गाजर,टमाटर)	चाय 01	पनीर / अण्डा करी, रोटी, चावल (बासमती), हलवा, अचार / चटनी

नोटः–

1– ऊपर दिये गये मैन्यू के अनुसार ही समय पर खाना एवं नाश्ता दिया जाये एवं सब्जी की सप्ताह में दो बार से अधिक पुनरावृत्ति न की जायें।

2– जो सब्जी मौसम के अुनसार बाजार में उपलब्ध हो को बनाया जाय।

3– छात्रावास मैस एवं डायनिंग हॉल की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जायें।

प्रधानाचार्य

6/7

उत्तराखण्ड राजकीय संस्थान पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 244713
E-mail: poly_kashipur@yahoo.co.in

–: चैक लिस्टः–

सत्र 2026–27 हेतु प्रधानाचार्य, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक, संस्थान काशीपुर के छात्रावास में मैस संचालन के कार्य हेतु चैक लिस्ट

1– फर्म का नाम :– मैसर्स...
....
2– व्यक्ति का नाम :– ....
3– पूरा पता :– ....
जिला...
राज्य.. मोबाइल नं0..
फोन नं0 (एस0टी0डी0 कोड सहित)..
4– आधार न0 :– ....
4– पेन नं0 :– ....
5– जी0एस0टी0 :– ....

पहले लिफाफे (तकनीकी लिफाफा) में नीचे दिये गये क्रम में निम्नलिखित दस्तावेज होगें।

क्र0सं0	दस्तावेज	हॉ अथवा नही	टिप्पणी (निविदा समिति के द्वारा भरा जाये)।
1	निविदा फॉर्म की मूल प्रति एवं प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित।		
2	धरोहर धनराशि रू0 80000.00 एफ0डी0आर0 के रूप में वैधता एक वर्ष मूल रूप में।		
3	जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति।		
4	कार्य अनुभव (कैटरिंग के क्षेत्र में सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी संस्थान से कम से कम तीन वर्षो का कार्य अनुभव) स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
5	फर्म का उन्ही तीन वर्षो के कार्य अनुभव का कुल टर्नओवर रू0 3000000.00 (रू0 तीस लाख) या उससे ऊपर का स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
6	फर्म का पिछले तीन वर्षो का इनकम टैक्स रिटर्न ITR की स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
7	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र (Food Certificate) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
8	निविदादाता का आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।		
9	निविदादाता का अपना/फर्म का पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति		
10	निविदाकर्ता के पास कन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट के अर्न्तगत पंजीकरण ESIC पंजीकरण एवं EPF में पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न।		
11	निविदादाता द्वारा अपनी दरों के अनुसार मैस संचालन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियों जैसे सरसों तेल, चावल, आटा, मसाले इत्यादि का विवरण सूची कम्पनी/ब्रान्ड सहित मूल रूप में हस्ताक्षरित व मुहर सहित।		
12	समस्त निविदा प्रपत्र के पृष्ठ तथा संलग्नक को स्वप्रमाणित हैं।		
13	निविदादाता को किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने और किसी भी प्रकार के विवाद में संलिप्त न होने का शपथ पत्र 10/– के स्टैम्प पेपर पर मूल रूप में।		

दिनांक :–

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

केवल कार्यालय उपयोग हेतु (उ0रा0पॉ0सं0 काशीपुर के निविदा समिति द्वारा सत्यापन हेतु)
निविदादाता को इस पंक्ति के नीचे कुछ भी नही लिखना है।

निविदा समिति के सदस्यों के संस्तुति एवं हस्ताक्षर :–

1- 2- 3- 4- 5-

6- 7- 8-

दिनांकः......................

प्रधानाचार्य

उत्तराखण्ड राजकीय संस्थान पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर–ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) 244713
E-mail: poly_kashipur@yahoo.co.in

(ख–लिफाफा)

वित्तीय निविदा–पत्र

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान
काशीपुर, (ऊधमसिंह नगर)

विषयः– (निविदा का नाम)...हेतु निविदा पत्र निविदा खोले जाने की तिथि..............................तथा समय....................................

महोदय,

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा निम्न प्रकार दी गई जानकारियां सही हैः–

1– फर्म का नाम :– मैसर्स..
....

2– व्यक्ति का नाम :– ....

3– पूरा पता :– ....
जिला..
राज्य.. मोबाइल नं0..
फोन नं0(एस0टी0डी0 कोड सहित)....................................

4– आधार कार्ड न0 :– ....

5– पेन कार्ड नं0 :– ....

6– जी0एस0टी0 न0 :– ....

कार्य की प्रकृति

वर्ष 2026–27 प्रधानाचार्य, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक, संस्थान काशीपुर के छात्रावास मैस संचालन के कार्य करने हेतुः–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर प्रति दिन प्रति छात्र जी0एस0टी0 सहित (रूपये में)	
		अंको में	शब्दों मे
1	छात्रावास में निर्धारित साप्ताहिक मैस मैन्यू अनुच्छेदक 01 के अनुसार भोजन व्यवस्था।		

1– यदि मुझे/हमें उपरोक्त दर पर कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो मैं/हम निविदा प्रपत्र में निर्दिष्टानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

2– मैने/हमने निविदा पत्र में दर्शाई गई शर्तो एवं नियमों को भली–भांति समझ लिया है, तथा इन्हीं नियमों/शर्तो के अर्न्तगत मैस संचालन का कार्य करने के लिए बाध्य रहूँगा/रहेंगें।

निविदादाता हस्ताक्षर
मुहर सहित

नोटः– निविदा प्रपत्र में दरों पर या अन्य जगहों पर ओवर राइटिंग या फ्लूड का प्रयोग वर्जित है, यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो स्पष्ट हस्ताक्षर करने जरूरी होगें।